सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 52/14

1.ओमप्रकाश पुत्र श्री आशाराम जाति मेधवाल निवासी बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2.सुरजीतसिंह पुत्र श्री दुलासिंह जाति तरखान निवासी वार्ड सं0 20, सादुलशहर।
3.हरदीपसिंह पुत्र श्री करनैलसिंह जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 13, सादुलशहर।
4.राकेशकुमार पुत्र श्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 12, सादुलश्हार।
5.राजेन्द्रकुमार पुत्र श्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 12, सादुलश्हार।
6.बलराम पुत्र श्री धन्नाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील संगरिया जिला श्रीगंगानगर।
7.रामकुमार पुत्र श्री भागीरथ जाति बिश्नोई निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर।
8.जसपालकौर पत्नी महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी वाड सं0 13, सादुलशहर
9.सुखेदवसिंह पुत्र श्री मधरसिंह जाति छिम्पा वार्ड सं0 13 सादुलशहर।
10.सुखदीपसिंह
11.सुरजीतसिंह पिसरान मलसिंह अकवाम छिम्पा निवासीवार्ड सं0 15 सादुलशहर।
12.भारती गर्ग पत्नी श्री बजरंग गर्ग जाति अग्रवाल निवासी वार्ड सं0 10, सादुलशहर।

– अपीलार्थीगण

बनाम

स्टेट आफ राज0 जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलश्हार।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व इंतकाल सं0 368 दिनांक 14.07.2014 तहसीलदार, सादुलशहर

उपस्थित : 1. श्री मोहन लाल छाबड़ा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0

आदेश **दिनांक : 12–10–15**

प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि तहसील सादुलशहर के चक 10 केआर डब्ल्यू में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2067–70 खाता

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

नं0 33/04 में 0.050 है0 कृषि भूमि संजीव कुमार , सन्दीप कुमार, विवेक कुमार पिसरान श्री निर्मल कुमार के नाम से खातेदारी दर्ज थी। विक्रेतागण द्वारा अपनी उक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि में से कृषि भूमि का बेचान भिन्न–2 पंजीकृत दस्तावेज बैयनामाजात से दिनांक 24–11–11 एवं 25–11–11 को अपीलांटस को कर दिया। अपीलांटस की ओर से पंजीकृत बैयनामाजात से भूमि मुश्तर्का एवं बिना विधिवत् विभाजन के खरीद की गई थी इसलिए यकजाई रूप से बैयनामाजात के आधार पर अपने नाम से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इंतकाल स्वीकृत किए जाने की प्रार्थना अधीनस्थ न्यायालय से की थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही न कर पत्रावली को लंबित रखा तथा दिनांक 14–7–14 को अपीलांटस को बिना सूचित किए हुए अपीलाधीन इंतकाल का अस्वीकृत कर दिया गया। अपीलाधीन इंतकाल एकपक्षीय रूप से अस्वीकृत किया गया है। विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अपील अस्वीकृत करने का आदेश क्षेत्राधिकार विहिन है। पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा का इंतकाल किसी भी सूरत में अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। जहॉ तक छोटे टुकडों के बेचान का प्रश्न है, विधि के अन्तर्गत किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है। यदि स्टाम्प डयूटी अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क कम अदा हुआ है तो उस संबंध में अलग से कार्यवाही की जा सकती है। राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अधिकारी उप जिला कलक्टर को हैं। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपीलकृत आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर बाद रिपोर्ट नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये एकपक्षीय पारित किया गया है। विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अपील अस्वीकृत करने का आदेश क्षेत्राधिकार विहिन है। पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा का इंतकाल किसी भी सूरत में अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। जहॉ तक छोटे टुकडों के बेचान का प्रश्न है, विधि के अन्तर्गत किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है। यदि स्टाम्प डयूटी अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क कम अदा हुआ है तो उस संबंध में अलग से कार्यवाही की जा सकती है। राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अधिकारी उप जिला कलक्टर को हैं। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपीलकृत आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित कर अपीलकृत इंतकाल निरस्त किया गया है। अपीलाधीन भूमि का विक्रय छोटे–2 टुकड़ों के रूप में हुआ है, जिसका उपयोग कृषि कार्यो में नहीं हो रहा है। बेचान की गई भूमि कृषि

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रयोजनार्थ नहीं है। शासन के परिपत्र दिनांक 28–4–11 के अनुसार दर्ज इंतकाल अनियमित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलकृत आदेश विधिसम्मत् होने के कारण प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलकृत इंतकाल का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलाधीन भूमि चक 10 के आर डब्लयू मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2067–70 खाता नं0 33/4 में 0.050 है0 कृषि भूमि है, जो चार बिस्वा भूमि के समकक्ष है। उक्त चार बिस्वा भूमि विक्रेतागण संजीवकुमार, सन्दीपकुमार, विवेककुमार पिसरान निर्मल कुमार द्वारा अपीलांटस को जरिये पंजीकृत रजिस्ट्री से विक्रय की गई है। अपीलांटास द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पंजीकृत बैयनामों के आधार पर इंतकाल दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिवत् सुनवाई किए, अपीलाधीन इंतकाल को निरस्त कर दिया गया है। अपीलांटस के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि शासन द्वारा पूर्व में ही फ्रेगमेन्ट को खत्म कर दिया गया था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल खारिज करने में विधिक भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16–1–14 को अपीलाधीन इंतकाल भरा गया है तथा आई0 एल0 आर0 करड़वाला द्वारा दिनांक 8–2–14 को अपीलकृत इंतकाल की जॉच कर अधीनस्थ न्यायालय से मार्गदर्शन मॉगा गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना केतागण–अपीलांटस की सुनवाई किए अपीलाधीन इंतकाल निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया गया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। अतः ऐसी स्थिति में बिना विधिवत् सुनवाई किए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत इंतकाल को खारिज करने में विधिक त्रुटि की गई है। अतः मामला पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलकृत इंतकाल सं0 368 दिनांक 14–7–14 पर पारित नामान्तरण खारिज करने के आदेश को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, पुनः विधिसम्मत् आदेश पारित करें। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 12–10–15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/10/15

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।